संख्या 169 /बीस–8/2018–4(33)2008

प्रेषक

आर॰ सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

पुलिस महानिदेशक
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

गृह अनुभाग–8

देहरादून : दिनांक 07 फरवरी, 2018

विषय–इण्डिया रिजर्व वाहिनी (आईआरबी) प्रथम के आवासीय/अनावासीय भवनों के अवशेष निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, शासनादेश संख्या 1406/XX(1)/73–निर्माण/ई.रि.वाहिनी द्वितीय चरण/2008–09 दिनांक 30.12.2008 के क्रम शासनादेश संख्या 811/बीस–8/2017–4(33)2008 दिनांक 28.07.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आईआरबी प्रथम के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन की औचित्यपूर्ण धनराशि रूपये 1997.50 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 197.46 लाख की धनराशि कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखी गयी है।

2– इस के क्रम में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी–दो–202–2003(Phase-II) दिनांक 05.02.2018 में कार्यदायी संस्था द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन में उपलब्ध कराया गया है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आईआरबी प्रथम रामनगर के अर्द्धनिर्मित निर्माण कार्यों के भौतिक निरीक्षण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट के क्रम में योजना हेतु अर्द्धनिर्मित निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–10 लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 211–पुलिस आवास 06–इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना के मानक मद 24–वृहत निर्माण में अवशेष **रूपये 202.54 लाख (रूपये दो करोड़ दो लाख चौव्वन हजार मात्र)** की धनराशि अन्तिम किश्त के रूप में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– यह धनराशि अन्तिम किश्त के रूप में भुगतान की जा रही है तथा इसके पश्चात उक्त कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त नही की जायेगी।

5– शासनादेश संख्या 811/बीस–8/2017–4(33)2008 दिनांक 28.07.2017 में उल्लिखित शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे। उक्त शासनादेश की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–10, के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 211–पुलिस आवास, 06–इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना के मानक मद 24–वृहद

निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/3(150)/सत्ताईस(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 के क्रम में तथा अलॉटमेंट आई.डी. संख्या SIB03100060 दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या 169 /बीस—8/2018—4(33)2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2— निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3— बजट अधिकारी, साईबर कोषागार, देहरादून।
4— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर, देहरादून।
6— अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, इकाई रामनगर नैनीताल।
7— वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग—5 उत्तराखण्ड शासन।
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से
Akhilesh
(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव